"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/ तक. 114-009/2003/20-1-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 215-द] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 24 अगस्त 2006- भाद्र 2, शक 1928

खनिज साधन विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 24 अगस्त 2006

अधिसूचना

क्रमांक एफ 7-7/2004/12. — खान एवं खनिज (विकास और विनियम) अधिनियम, 1957 (1957 का सं. 67) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 1996 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् : —

30(23)

//संशोधन//

उक्त नियमों में :—

(1) छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 1996 के अध्याय तेरह के नियम 57 से 64 के स्थान पर निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किए जांए, अर्थात् :—

(2) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

57. **अपील तथा अपीलीय प्राधिकारी**— (1) जहां इन नियमों के अधीन किसी भी विषय के संबंध में, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत या जिला पंचायत द्वारा कोई शक्ति प्रयोक्तव्य है, वहां इन नियमों के अधीन पारित प्रत्येक आदेश की अपील छत्तीसगढ़ पंचायत (अपील और पुनरावलोकन) नियम, 1995 में उल्लिखित प्राधिकारी को और उसमें यथानिर्दिष्ट रीति में की जाएगी ।

(2) जहां इन नियमों के अधीन किसी भी विषय के संबंध में, कलेक्टर/अपर कलेक्टर द्वारा कोई शक्ति प्रयोक्तव्य है, वहां इन नियमों के अधीन पारित प्रत्येक आदेश की अपील संचालक, भौमिकी एवं खनिकर्म, छत्तीसगढ़ की होगी ।

(3) जहां इन नियमों के अधीन किसी भी विषय के संबंध में संचालक द्वारा प्रयोक्तव्य है, वहां इन नियमों के अधीन पारित प्रत्येक आदेश की अपील राज्य सरकार की होगी ।

(4) पुनर्विलोकन में, किसी आदेश में फेरफार करते हुए या उसे उलटते हुए पारित किया गया कोई आदेश मूल आदेश की रीति में अपीलनीय होगी ।

(5) इन नियमों के अधीन कोई भी अपील संबंधित आदेश की संसूचना की तारीख से 60 दिन के पश्चात ग्रहण नहीं किया जायेगा और इस कालावधि की संगणना करने में उक्त आदेश की प्रतिलिपि अभिप्राप्त करने के लिए अपेक्षित समय छोड़ दिया जाएगा ।

परन्तु अपीलीय प्राधिकारी द्वारा उक्त कालावधि के पश्चात भी ऐसी कोई अपील ग्रहण की जा सकेगी, यदि आवेदक उसका यह समाधान कर दे कि आवेदन समयावधि के भीतर प्रस्तुत न करने का उसके पास पर्याप्त कारण था.

58. **पुनरीक्षण**– (1) राज्य सरकार तथा संचालक, किसी भी समय स्वप्रेरण से किसी अधीनस्थ अधिकारी द्वारा पारित आदेश की वैद्यता या औचित्य के संबंध में या की गई कार्यवाही की नियमितता के संबंध में अपना समाधान करने के प्रयोजन के लिए ऐसे अधिकारी के समक्ष लंबित या उसके द्वारा निपटाये गये किसी मामले के अभिलेख मंगवा सकेगा और उसका परीक्षण कर उसके संबंध में ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जैसा कि वह उचित समझे ।

परन्तु, किसी भी आदेश को पुनरीक्षण में तब तक फेरफारित नहीं किया जाएगा या उलटा नहीं जाएगा जब तक कि हितबद्ध पक्षकारों पर सूचना की तामील न कर दी गई हो और उन्हें सुनवाई का अवसर न दे दिया गया हो ।

59. **आदेशों का पुनर्विलोकन**– (1) संचालक या कलेक्टर, स्वप्रेरणा से किसी ऐसे आदेश का जो स्वतः उसके द्वारा या उसके किसी पूर्वाधिकारी द्वारा पारित किया गया हो, पुनर्विलोकन कर सकेगा और उसके संबंध में ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जैसा कि वह ठीक समझे :

परन्तु–

(एक) संचालक किसी ऐसे आदेश का पुनर्विलोकन करना आवश्यक समझता है तो वह इसके लिए राज्य शासन से अनुमति अभिप्राप्त करेगा तथा यदि कलेक्टर या तो स्वयं द्वारा या किसी पूर्वाधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश का, पुनर्विलोकन करना प्रस्तावित करे तो, वह पहले संचालक की लिखित स्वीकृति अभिप्राप्त करेगा,

(दो) किसी भी आदेश का तब तक फेरफारित नहीं किया जाएगा या उलटा नहीं किया जाएगा जब तक कि हितबद्ध पक्षकारों का उपसंजात होने तथा ऐसे आदेश की पुष्टि में सुने जाने की सूचना न दे दी गई हो,

(तीन) किसी भी ऐसे आदेश का, जिसकी कि अपील की गई है, या तो किन्हीं पुनरीक्षण कार्यवाहियों का विषय है, उस समय तक पुनर्विलोकन नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसी अपील या पुनरीक्षण कार्यवाहियां लंबित रहती है.

(2) किसी भी आदेश का पुनर्विलोकन सिविल प्रकिया संहिता, 1908 (1908 का संख्याक 5) में उपबंधित किए गए आधारों पर ही किया जाएगा अन्यथा नहीं ।

60. **अपील के लिए आवेदन**– (1) अपील आवेदन प्रारूप–इक्कीस(परिशिष्ट–1) में तीन प्रतियों में प्रस्तुत किया जायेगा, जिसके साथ शासकीय कोषालय में एक सौ रूपये के कोषालय चालान की एक रसीद यह दर्शाते हुए की शासकीय कोषालय में लेखा शीर्ष–

0853 – खान और खनिज

800 – अन्य प्राप्तियां

0278 – छोटे खनिजों से प्राप्तियां–अर्थदण्ड एवं राजसातकरण सहित में भुगतान कर दिया गया है, संलग्न की जाएगी ।

(2) अपील आवेदन पर रूपये 10.00(दस रूपये) मूल्य का न्यायालय फीस स्टाम्प चिपकाया जायेगा ।

(3) उप नियम (1) के अधीन उत्खनन पट्टा प्रदान करने से इंकार किए जाने के विरूद्ध प्रत्येक आवेदन में, किसी व्यक्ति को, जिसे उसी क्षेत्र या उसके किसी भाग के संबंध में उत्खनन पट्टा प्रदान किया गया है, पक्षकार बनाया जाएगा ।

(4) उप नियम (1) के अधीन आवेदन के साथ आवेदक द्वारा आवेदन की उतनी अतिरिक्त प्रतियों, जितनें की उप नियम (3) के अधीन पक्षकार बनाये गये है, प्रस्तुत की जाएगी ।

61. **अपील आवेदन की प्रतिलिपियां संबंधित पक्षकारों को भेजा जाना**– आवेदन तथा उसकी प्रतिलिपियां प्राप्त होने पर अपीलीय प्राधिकारी, आवेदन की प्रतिलिपि नियम 60 के उप नियम (3) के अधीन बनाये गये पक्षकारों में से प्रत्येक पक्षकार को वह तारीख विनिर्दिष्ट करते हुए भेजेगा, जिस तारीख को या उसके पूर्व अपील आवेदन के विरूद्ध अपना अभ्यावेदन यदि कोई हो, कर सकेगा.

62. **अपील आवेदन पर आदेश** – जहां इन नियमों के अधीन कोई अपील आवेदन प्रस्तुत किया जाता है वहां प्राधिकारी ऐसे आदेश की पुष्टि कर सकेगा, उसे उपांततरित या अपास्त कर सकेगा या उसके संबंध में ऐसा अन्य आदेश पारित कर सकेगा जैसा कि वह उचित समझे.

63. **स्थगन प्रदान करना** – अपीलीय प्राधिकारी, किसी भी समय, यह निर्देश दें सकेगा कि उस आदेश का निष्पादन जिसके विरूद्ध अपील आवेदन लंबित है, ऐसे समय के लिए, जैसा कि वह न्यायसंगत एवं उचित समझे, स्थगित किया जाय :

परन्तु यह कि खनन शोध्यों के वसूली के लिये कोई स्थगन तब तक प्रदान नहीं किया जाएगा, जब तक कि स्थगन चाहने वाले पक्षकार द्वारा भाटकों, स्वामित्वों तथा उन पर देय ब्याज की विवाद रहित रकम का भुगतान कर दिया गया हो और ऐसे भाटकों, स्वामित्व तथा ब्याज की विवादित रकम के लिए बैंक गारंटी नहीं दी है ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

एम. के. त्यागी, संयुक्त सचिव.

परिशिष्ट-1

प्ररूप-इक्कीस
[देखिये नियम 60 (1)]

(तीन प्रतियों में प्रस्तुत किया जाय)

अपील के लिए आवेदन का आदर्श प्ररूप

1. आवेदन करने वाले व्यक्ति/व्यक्तियों, सोसाइटी, कंपनी का नाम और पता
2. वृत्ति
3. प्राधिकारी का नाम आदेश का क्रमांक और दिनांक जिसके विरुद्ध अपील के लिए आवेदन दाय़र किया गया है (प्रति संलग्न है).
4. गौण खनिज जिसके लिए अपील के लिये आवेदन दायर किया गया है
5. उस क्षेत्र के ब्यौरे जिसकी बाबत अपील आवेदन दायर किया गया है.

जिला	तहसील	ग्राम	पंचायत	खसरा क्रमांक तथा कुल क्षेत्र

(क्षेत्र/क्षेत्रों का नक्शा या मानचित्र संलग्न किया जाय)

6. क्या आवेदन की फीस विहित रीति से जमा की गई है. मूल रसीद संलग्न की जाय
7. क्या अपील के लिये आवेदन विनिर्दिष्ट समय में दायर किया गया है, यदि नहीं तो जैसा कि नियमों में उपबंधित है विहित सीमा में पेश न किए जाने का कारण
8. पक्षकार जो बनाये गये हैं, का नाम व पूरा पता
9. संलग्न की गई प्रतियों की संख्या
10. अपील के आधार
11. यदि अपील आवेदन मुख्तारनामा धारण करने वाले द्वारा दायर किया गया है तो मुख्तारनामा संलग्न किया जाय.

स्थान -

दिनांक -

आवेदक के हस्ताक्षर

रायपुर, दिनांक 24 अगस्त 2006

क्रमांक एफ 7-7/2004/12. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 7-7/2004/12, दिनांक 24-08-2006 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. के. त्यागी, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 24th August 2006

NOTIFICATION

No. F 7-7/2004/12 .— In exercise of the powers conferred by Section 15 of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (No. 67 of 1957), the State Government hereby makes the following further amendments in the Chhattisgarh Minor Mineral Rules, 1996, namely :—

AMENDMENT

In the said Rules; -

(1) Following rules shall be substituted in place of rule 57 to 64 of Chapter XIII of the Chhattisgarh minor mineral rules, 1996.

(2) These rules shall come in to force from the date of their publication in the official Gazette of the State.

57. Appeal and appellate authorities : - (1) Where any power is exercisable by Gram Panchayat, Janpad Panchayat or Zila Panchayat under these rules in relation to any matter, an appeal shall lie from every order passed under these rules to the authority mentioned in Madhya Pradesh Panchayat (Appeal and Revision) Rules, 1995 and in the same manner as prescribed therein;

(2) Where any power is exercisable by the Collector/Additional Collector under these rules, in relation to any matter, an appeal shall lie from every order passed under these rules to the Director, Geology & Mining, Chhattisgarh.

(3) Where any power is exercisable by the Director under these rules, in relation to any matter, an appeal shall lie from every order passed under these rules to the State Government.

(4) An order passed in review varying or reversing any order shall be appealable in like manner as the original order.

(5) No such appeal shall be entertained unless presented within sixty days from the date of the order and in computing the period aforesaid, time requisite for obtaining a copy of the said order shall be excluded.

Provided that any such appeal may be entertained by an appellate authority after the said period, if the appellant satisfies him that he has sufficient cause for not making the application within time.

58. Revision. - (1) The State Government and Director may at any time, on its own motion for the purpose of satisfying itself as to the legality or propriety of any order passed by or as to the regularity of the proceedings of any officer subordinate to it call for and examine the record of any case pending before or disposed of by such officer and may pass such order in reference thereto as it thinks fit.

Provided that no order shall be varied or reversed in revision unless notice has been served on the parties interested and opportunity given to them of being heard.

59. Review of orders:- (1) The Director or Collector on his own motion review any order passed by himself or by any of his predecessors in office and pass such order in reference / thereto as he thinks fit;

Provided that -

(i) if the Director thinks it necessary to review any order, he shall first obtain the sanction of the Government, and if Collector proposes to review any order, whether passed by himself or by any predecessors, he shall first obtain the sanction in writing of the Director.

(ii) no order shall be varied or reversed unless notice has been given to the parties interested to appear and be heard in support of such order;

(iii) no order from which an appeal has been made, or which is the subject matter of any revision proceedings are pending, be reviewed;

(2) No order shall be reviewed except on the grounds provided for in the Code of Civil Procedure, 1908 (V of 1908).

60. Application for Appeal : - (1) An application shall be made in triplicate in form XXI (Annexure-I). The application for appeal shall be accompained by a treasury receipt showing that a fee of one hundred rupees has been paid into Government Treasury under the head of account -

'0853	- Mines and Minerals
800	- Other receipts
0278	- Receipts from minor minerals including fines and forfeitures'

(2) The application for appeal shall be affixed with a court fee stamp of the value of Rs. 10.00 (Rupees Ten).

(3) In every application under sub-rule (1) against the order refusing to grant a quarry lease, any person to whom a quarry lease was granted in respect of the same area or part thereof, shall be impleaded as party.

(4) Along with the application under sub-rule (1), the applicant shall submit as many copies thereof as there are parties inpleaded under sub-rule (3).

61. Copies of application of appeal to be sent to impleaded parties : - On receipt of the application and the copies thereof the Appellate Authority shall send a copy of the application to each of the parties impleaded under sub-rule (3) of rule 60 specifying the date on or before which he may make his representation if any against the appeal application.

62. Order on appeal application: - Where an application for appeal is made under these rules the authority may confirm, modify or set aside the order or pass such other order in relation thereto as it may deem just and proper.

63. Grant of stay :- The appellate authority may at any time direct that the execution of the order against which appeal is pending be stayed for such time as it may deem fit.

Provided that no stay for the recovery of mining dues shall be granted unless the party seeking stay has paid the undisputed amounts of rents, royalties and interest due thereon and has furnished bank guarantee for the disputed amounts of such rent, royalty and interest.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
M. K. TYAGI, Joint Secretary.



FORM XXI

[*See Rule 60(1)*]

(To be submitted in triplicate)

Model form of application for appeal

1. Name and address of individual(s) society, firm of company, applying
2. Profession.
3. Name of authority, No. and date of order against which the appeal application is filled (copy attached).
4. Minor Mineral or Minor Minerals for which the appeal application is filled.
5. Details of the area in respect of which the application is filled.

District	Tehsil	Village	Panchayat	Khasra No. & total area

(A map or plan of the area(s) to be attached)

6. Whether application fee has been deposited in the manner prescribed. Original receipt to be attached.
7. Whether the appeal application has been filed within time specified if not, the reasons for not presenting it within the prescribed limits as provided for in rules.
8. Name and complete address of the party / parties impleaded.
9. No. of copies attached.
10. Grounds of appeal.
11. If the appeal application has been filed by the holder of Power of Attorney, the Power of Attorney, to be attached.

Place :
Date :

Signature of the Applicant.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित -2006